



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112021-230972  
CG-DL-E-08112021-230972

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4247]  
No. 4247]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2021/कार्तिक 17, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2021/KARTIKA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021  
सं. 42/2015-2020

**विषय :** विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.42 (3) में संशोधन।

**का.आ. 4610(अ).**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

**विदेश व्यापार नीति का मौजूदा पैरा 4.42 (3) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:**

(3) इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डायमंड ग्रेडिंग एंड रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, भारत।

**विदेश व्यापार नीति का संशोधित पैरा 4.42 (3) निम्नानुसार है:**

(3) डी बीयर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, भारत।

**अधिसूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार नीति 2015-20 का पैरा 4.42 (3) प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के प्रयोजन हेतु अपनी प्रयोगशाला के लिए हीरो के आयात हेतु अनुमत एजेंसी के नाम को बदलने के लिए संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/94/180/378/एम 20/पीसी-4]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2021

**No. 42/2015-2020**

**Subject : Amendment in Para 4.42(3) of Foreign Trade Policy 2015-20.**

**S.O. 4610(E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

**The current Para 4.42(3) of the Foreign Trade Policy reads as under:**

(3) International Institute of Diamond Grading & Research India Pvt. Ltd., Surat, Gujarat, India.

**The amended Para 4.42(3) of the Foreign Trade Policy is as under:**

(3) De Beers India Private Ltd, Surat, Gujarat, India.

**Effect of the Notification:** Para 4.42(3) of FTP 2015-20 stands amended to modify the name of the agency permitted to import diamonds to its laboratory for the purpose of certification/ grading & re-exports.

[F. No. 01/94/180/378/AM 20 /PC-4]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.